



तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024

• वर्ष/year : 01 • अंक/issue : 79 • पृष्ठ/page : 12 • मूल्य/rate : 3 ₹

हापुड़ से प्रकाशित / Published From Hapur

UPHIN/2023/51292

'आप चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकते'

चुनावी बॉन्ड़: एसबीआई को सुप्रीम फटकार, कहा सब कुछ बताना होगा

तेजयुग न्यूज़



नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड पर हुई ताजा सुनवाई में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था और जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने एसबीआई द्वारा एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा करने के लिए कहेगा।

दिया, जिसमें बताना होगा कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड नंबरों का खुलासा किया गया है। अल्फार्मूमेंरिक संस्कार और सीरियल नंबर भी बताने होंगे।

निकाल लिए गए हैं, उनके ने सभी जानकारी का खुलासा किया गया है। अल्फार्मूमेंरिक संस्कार और सीरियल नंबर भी बताने होंगे।

यूनिक नंबर भी बताना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड पर यूनिक नंबर भी बताना होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बैंक को केवल हमारे आदेश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए कोर्ट ने दूसी के साथ कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा।

केंद्र ने कोर्ट में क्या कहा?

केंद्र की ओर से पेश दॉक्याटिटर ने जनरल तुराव मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनावी बॉन्ड का आंतरिक उद्देश्य काले धन पर अंतर्भुत लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे रखा जा रहा है।

सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी मौजूद किसी भी जानकारी को छोड़कर शीर्ष कोर्ट को देगा और बैंक ने यह भी कहा कि उसने अब तक अपने पास कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी को छोड़कर शीर्ष कोर्ट को देगा और बैंक ने यह भी नहीं रखा है।



**सत्येंद्र जैन को सुप्रीम झटका
खारिज की जमानत याचिका**

तेजयुग न्यूज़

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री सल्वेंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मनी लॉइंग्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। अब उन्हें तुरंत संदेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे।

जरिस बेला एम चिवेदी और जरिस पंकज प्रियंका को पौंडे ने इस संघर्ष में अपना फैसला लगाया। सल्वेंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफतार किया था। चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 की जमानत दी थी।

तब उन्हें छाँहते के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में थीरे-थीरे इसकी अवधि बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मौद्दिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था।



वरिष्ठ अधिकारी अभिषेक मनु सिंधिया ने सुप्रीम कोर्ट से जैन को जमानत देने का आग्रह किया था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है।

वही ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जैल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।

आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की कार्यवाई बंगाल के डीजी और छह गृह सचिव हटाये गये

तेजयुग न्यूज़



नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सोमवार दोपहर को छह गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए - जिनमें गुरजात, बिहार और उत्तर प्रदेश के शीर्ष नौकरशाह भी शामिल हैं। चुनाव पैनल ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के स्थानान्तरण का भी निर्देश दिया, जो राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी है, जिन्होंने हाल के वर्षों में चुनाव संबंधी हिस्से के कई मामले देखे हैं। पोल पैनल ने आगे कहा कि तीन संभावित प्रतिष्ठानों की एक शॉटलिस्ट तैयार की जानी थी और शम 5 बजे तक जया की जानी थी। बड़े चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा फेरबदल एक असमान्य कर्म का रही है, इसमें आराखंड द्वारा फेरबदल एक असमान्य प्रदेश और उत्तराखण्ड के गृह सचिवों के साथ-साथ भी जानकारी को छोड़कर शीर्ष कोर्ट के विरोध अधिकारियों को देगा और बैंक ने यह भी कहा कि उसने अब तक अपने पास कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी को छोड़कर शीर्ष कोर्ट के विरोध अधिकारियों को देगा और बैंक ने यह भी नहीं रखा है।

यहां है। यह सब 2024 के लोकसभा चुनाव से एक महीने से भी कम समय पहले हुआ है; ईसीआई ने शनिवार को कहा कि मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक सात चरणों में चलेगा। वास्तव में, मतदान की तीरी यहोंनी वापस के बाए से ईसीआई द्वारा नीकरणही में यह पहला फेरबदल है।

ईसीआई का यह कदम मूरुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके दों सहयोगियों, नवनियुक्त जानेश कुमार और सुखवीर सिंह संघर्ष के विरोध अधिकारियों को छोड़कर शीर्ष कोर्ट के विरोध अधिकारियों के अंतिम समय में बदल दिया है। इसीआई का यह कदम आयोगी भी जानकारी को छोड़कर शीर्ष कोर्ट के विरोध अधिकारियों को देगा और बैंक ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने इसका देखा जा सकता है, विषय रूप से पहले कानून-व्यवस्था के संबंध में तरस्था की आवश्यकता होती है।

मतदान के दौरान और उसके बाद अन्य समाजपाल समाजपाल के विरोध अधिकारियों के अंतिम समय में तरस्था की आवश्यकता होती है।

मतदान के दौरान और उसके बाद अन्य समाजपाल समाजपाल के विरोध अधिकारियों के अंतिम समय में तरस्था की आवश्यकता होती है।

उदाहरण में तरस्था की आवश्यकता होती है।